

**राजस्थान सरकार**  
**आयोजना (ग्रुप-1) विभाग**

क्रमांक: प.1(9)आयो./ग्रुप-1/सां./2011-पार्ट-1

जयपुर, दिनांक: 24 SEP 2018

**—:आदेश:—**

आयोजना विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 16.03.2016 एवं 22.06.2016 द्वारा राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियम, 1958 के नियम-22 के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर चयन उपरांत निम्नांकित सांख्यिकी अधिकारियों को परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी के रूप में दो वर्ष की कालावधि के लिये नियत पारिश्रमिक तत्पश्चात् पी.बी.-2(9300-34800) की ग्रेड-पे 4800 (संख्या-14) में अस्थायी तौर पर कार्यग्रहण तिथि से नियुक्त किया गया।

राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के निम्नांकित परिवीक्षाधीन सांख्यिकी अधिकारियों द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि सन्तोषजनक पूर्ण करने के फलस्वरूप वित्त विभाग की अधिसूचना प. 15(1)वित्त(नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 7 में उल्लेखित दिनांक से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम 17 के अनुसार सांख्यिकी अधिकारी के पद पर शेड्यूल-11(रूल-6) सेक्शन-'A' एवं शेड्यूल-1 (पार्ट-बी) नियम-5(VI) एवं (VII) की पे-मेट्रिक्स के अन्तर्गत लेवल-12 (L-12) का न्यूनतम (First Cell) की राशि रूपये 44300/- पर वेतन निर्धारित किया जाता है।

क्र. सं.	मेरिट नं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन विभाग/कार्यालय का नाम	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परिवीक्षाधीन अवधि (दोवर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने के उपरांत सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण का दिनांक	आगामी वेतनवृद्धि की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	72	श्री रामजी लाल शर्मा	कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पं.स. नैनवा, बूंदी	01.04.2016	31.03.2018	01.04.2018	01.07.2018
2.	165	श्रीमती दीपा डामोर	राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर	15.07.2016	14.07.2018	15.07.2018	01.07.2019

आज्ञा से



संयुक्त शासन सचिव  
आयोजना विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आयोजना विभाग को अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज आवश्यक रूप से संबंधित अधिकारी की सेवापुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित करावें।
4. संबंधित अधिकारी।
5. संबंधित अधिकारी की निजी पत्रावली।
6. रक्षित पत्रावली।

  
सहायक शासन सचिव  
आयोजना विभाग